

अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 70

अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	63.96	63.96	...	94.77	94.77	...	75.00	75.00	...	95.79	95.79	
पूँजी	...	13.53	13.53	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00	...	20.00	20.00	
जोड़	...	77.49	77.49	...	114.77	114.77	...	85.00	85.00	...	115.79	115.79	
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	21.83	21.83	...	38.10	38.10	...	25.33	25.33	...	28.91	28.91
2. विदेश कार्य													
2.01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ बैठकें	2061	...	0.07	0.07	...	1.00	1.00	...	0.22	0.22	...	1.00	1.00
2.02 मनोरंजन प्रभार	2061	...	0.10	0.10	...	0.30	0.30	...	0.10	0.10	...	0.30	0.30
2.03 अन्य व्यय													
2.03.01 अन्य योजनाएं	2061	...	35.77	35.77	...	49.37	49.37	...	41.52	41.52	...	57.58	57.58
2.03.02 प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन	2061	...	6.19	6.19	...	6.00	6.00	...	7.83	7.83	...	8.00	8.00
जोड़- अन्य व्यय		...	41.96	41.96	...	55.37	55.37	...	49.35	49.35	...	65.58	65.58
जोड़- विदेश कार्य		...	42.13	42.13	...	56.67	56.67	...	49.67	49.67	...	66.88	66.88
3. लोक निर्माण कार्य	4059	...	13.53	13.53	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00	...	20.00	20.00
कुल जोड़		...	77.49	77.49	...	114.77	114.77	...	85.00	85.00	...	115.79	115.79

1. **सचिवालय-सामान्य सेवाएं:** इसमें प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें विज्ञापन और प्रचार तथा संगोष्ठियां एवं अध्ययन आयोजित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2.01. **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ बैठकें:** इसमें भारत में आयोजित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/ बैठकों पर व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2.02. **मनोरंजन प्रभार:** इसमें भारत में आयोजित किए जाने वाले प्रवासी भारतीय समारोहों में आने वाले अथवा बैठकों एवं परिचर्चाओं के लिए भारत में आमंत्रित किए जाने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के मनोरंजन पर व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें दौरे पर आने वाले शिष्ट-मंडलों के स्थानीय आतिथ्य सत्कार पर व्यय के लिए भी प्रावधान किया गया है।

2.03. **अन्य व्यय:** इसमें योजनाओं तथा परियोजनाओं पर व्यय के लिए और साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए व्यय हेतु प्रावधान है।

3. **लोक निर्माण कार्य:** यह प्रावधान प्रवासी भारतीय केन्द्र के निर्माण के लिए है।